9

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आयाम

आशुतोष कुमार विश्वकर्मा*

भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' की घोषणा की गई। इस शिक्षा नीति को लागू करने का मुख्य उद्देश्य देश के समस्त नागरिकों को बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करवाना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कुछ मानदंड होते हैं जिनमें सभी वर्गों के लिए समान शिक्षा, विद्यालय का कुशल प्रबंधन, छात्र-शिक्षक का उचित अनुपात, प्रशिक्षित शिक्षक, उत्तम पाठ्यचर्या तथा उचित व समावेशी अधिगम वातावरण आदि प्रमुख हैं। इस शोध आलेख में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के इन्हीं मानदंडों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज का अध्ययन किया गया तो यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मानकों के अनुरूप हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की जो कोशिशें शुरू हुई थीं, वह कई आयोगों व समितियों के सुझावों व सिफारिशों को लागू करते हुए वर्तमान समय की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तक पहुँची है। भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को कस्तूरीरांगन समिति की सिफारिशों की घोषणा 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के रूप में की गई। हालांकि पूर्ववर्ती शिक्षा नीतियों में भी शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए व्यापक पैमाने पर पहल की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा की वर्तमान समस्याओं के समाधान व छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की मंशा से बनाई गई है। अतः यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज में विद्यालय स्तर की शिक्षा से संबंधित उन सभी संस्तुतियों का अध्ययन किया जाए जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आयामों के अनुरूप है, मगर सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसे कहते हैं?

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आशय

शिक्षा के गुणवत्ता की जब भी बात की जाती है तो प्रायः दो शिक्षण संस्थानों में प्राप्त शिक्षा की श्रेष्ठता के अंतर को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है (धनकर, 2010)। एक शिक्षण संस्थान, दूसरे शिक्षण संस्थान से किन आधारों पर श्रेष्ठ है? यह

* *शोधार्थी*, शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र

अंतर मुख्यतः विद्यार्थियों के प्राप्तांकों, उपलब्धियों व विद्यालय में उपलब्ध भौतिक संसाधनों के आधार पर तय किया जाता है। मगर कुछ विशेष शैक्षिक केंद्रों को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश शिक्षण संस्थाएँ केवल परीक्षा का केंद्र बन गई हैं (गोस्वामी और सिंह, 2016)। ऐसी शिक्षण संस्थाएँ विद्यार्थियों के अंदर केवल एक ही भावना का विकास कर रही हैं कि एक दूसरे को पीछे करते हुए किस तरह से अधिकाधिक अंक अर्जित किया जाए। इस तरह शिक्षा विद्यार्थियों में नैतिक व सामाजिक मूल्यों की जगह प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास कर रही है। सरकार शिक्षा व शिक्षा तंत्र में व्यापक सुधार हेतु भौतिक संसाधन तो मुहैया करवा रही है, किंतु विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अगर हम छात्रों के उच्च परीक्षा प्राप्तांकों को ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मानक मानते हैं तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संदर्भ में यह एक गलत अवधारणा है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का आशय इस अवधारणा से पूर्णतया इतर है। जबकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की विभिन्न परिभाषाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिभाषा में विद्यार्थियों के उच्च परीक्षा प्राप्तांकों को गौण माना जाता है। अगर हम गुणवत्ता की बात करें तो कैंब्रिज शब्दकोश ने गुणवत्ता का आशय किसी चीज को 'कितना अच्छा और खराब है' के रूप में परिभाषित करना है। अगर यह किसी के जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में कहा जाए तो गुणवत्ता किसी के जीवन में आनंद, आराम, और स्वास्थ्य के स्तर पर परिभाषित की जाती है (मुखोपाध्याय, 2020)। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बालक के जीवन को आनंदपूर्ण और आरामदायक बनाती है तथा बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करती है। इसके साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में गुणवत्ता के विचार की स्वीकृति में गरिमापूर्ण जीवन जीने का विचार निहित होता है (धनकर, 2010)।

जब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो यह जानना अतिआवश्यक है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बुनियाद किन घटकों पर खड़ी होती है। विद्यालय में भौतिक संसाधनों की समुचित उपलब्धता; कक्षानुसार निर्धारित पाठ्यक्रम को नियत समय में पूरा करवाना तथा उस विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उच्च परीक्षा प्राप्तांक प्राप्त करने योग्य बनाना ही शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण नहीं बनाता है, अपितु इसके अलावा भी अन्य कई घटक हैं जो शिक्षा को एकीकृत रूप से गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं। वर्ष 2000 में यूनिसेफ द्वारा 'द इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन एजुकेशनल फ्लोरेंस, इटली' की मीटिंग में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के कुछ प्राथमिक मानदंडों का जिक्र किया गया था, जिसमें अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा, भौतिक तत्व, मनोवैज्ञानिक तत्व, गुणवत्ता की सामग्री, गुणवत्ता की प्रक्रिया व गुणवत्ता के परिणाम आदि प्रमुख थे।

इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा के दो घटक हैं, जिनका समुच्चय शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाता है। पहला शिक्षा तंत्र की गुणवत्ता (विद्यालय, शिक्षण वातावरण, शैक्षिक नीतियाँ) व दूसरा शिक्षा सेवाओं की गुणवत्ता (शिक्षण व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, आधुनिकीकरण, पाठ्यचर्या का नियमित सुधार व शैक्षिक संसाधनों की गुणवत्ता) (जॉर्ज, विक्टोरिया

और मोनिका, 2018)। इसके अलावा कॉमनवेल्थ सचिवालय, मलेशिया (2017) ने अपने दस्तावेज 'यूनिवर्सल स्टैंडर्स फॉर क्वालिटी इन एजुकेशन' में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के 6 मानकों का उल्लेख किया है, जिसमें यह बताया गया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह है जो प्रभावी हो; लोगों को सशक्त बनाती हो; जो न्यायसंगत तरीके से सभी लोगों को समान रूप से दी जाती हो तथा ऐसी शिक्षा भलाई व सुरक्षा जैसे गुणों से परिपूर्ण होती है। ये सभी घटक एकीकृत रूप से शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह है जो विद्यालय शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, विद्यालयी संसाधनों के उचित प्रयोग व सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से एक बालक के अंदर नैतिक मूल्यों व जीवन कौशलों का विकास करके उसे भावी जीवन के लिए तैयार करती है। अतः अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज में शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु कौन-कौन सी संस्तुतियाँ दी गई हैं?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

वैश्वीकरण के इस दौर में मानव सभ्यता के स्वरूप में तेजी से बदलाव आ रहा है। मानव की आवश्यकताएँ व उसकी जरूरतें बदलते परिवेश के अनुरूप बदल रही हैं। अतः यह अपरिहार्य हो गया है कि वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षा व शिक्षा प्रणाली के स्वरूप में बदलाव किया जाएँ तथा देश के सभी नागरिकों को समान रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएँ। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज की प्रस्तावना में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा गया है कि अगले दशक तक भारत दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश होगा तथा इन युवाओं को उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. 3)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह मानती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच के द्वारा ही वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण संभव है तथा इस संदर्भ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देश की सतत आर्थिक विकास की कुंजी है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. 03)। इन बातों से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अपनी प्रस्तावना में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा आर्थिक प्रगति का सूत्र प्रतिपादित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज में ऐसी कई सिफारिशें उल्लेखित हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मानदंडों के अनुरुप हैं।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आयाम तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित उपरोक्त तथ्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा के कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनका समुच्चय शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उन्हीं घटकों के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज का विश्लेषण किया गया है, जो निम्नलिखित हैं—

सभी वर्गों के लिए शिक्षा

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से उपलब्ध कराई जाए, जिसकी जिम्मेदारी राज्य की होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुँच प्रत्येक बालक का मौलिक अधिकार हैं (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. 8)। इसके अलावा 2040 तक ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें किसी भी सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले विद्यार्थी को समान और सर्वोच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध हो (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. 4)। किंतु अधिकांशतः यह देखने को मिलता हैं कि समाज के वंचित, अल्प-प्रतिनिधित्व तथा हाशिए के समूहों को समाजार्थिक कारणों की वजह से शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। इस संदर्भ में दस्तावेज में उल्लेखित है कि नई शिक्षा नीति सभी विद्यार्थियों को चाहे उनका निवास स्थान कहीं भी हो, विशेषकर हाशिए, वंचित व अल्प-प्रतिनिधित्व वाले समूहों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. 5)। इन बातों से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समाज के सभी वर्गों तक एक समान शिक्षा की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिगम वातावरण

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पहलू है—उचित अधिगम वातावरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दस्तावेज में कहा गया है कि एक अच्छी शैक्षणिक संस्था वही है, जहाँ प्रत्येक बालक के लिए सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण मौजूद होता है तथा जहाँ सीखने के लिए विविध प्रकार के अनुभव तथा सीखने के लिए बुनियादी ढाँचे व उपयुक्त संसाधन उपलब्ध होते हैं (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. 6)। विद्यालय में अधिगम वातावरण के निर्माण के लिए यह जरूरी है कि विद्यालय में विद्यार्थियों व शिक्षकों के लिए बिना किसी बाधा के बेहतर, अनुकूल व सुखद वातावरण हो। विद्यालयों में ऐसे वातावरण को सुनिश्चित करने के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि स्कूलों में पर्याप्त भौतिक संसाधन (शौचालय, स्वच्छ पेयजल, सीखने के लिए स्वच्छ और आकर्षक स्थान, बिजली, कंप्यूटर, इंटरनेट, पुस्तकालय, खेल के मैदान और मनोरंजन के साधन) मुहैया करवाने होंगे, ताकि सभी वर्ग के विद्यार्थी एक समावेशी व प्रभावी शिक्षण वातावरण में सुविधापूर्वक सीख सकें (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. 32)। इस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए उचित अधिगम वातावरण के निर्माण पर बल देती है।

विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात

देश के सरकारी विद्यालयों की स्थिति अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि अधिकांश सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात मानक के अनुरूप नहीं है। देश के कई प्राथमिक विद्यालयों में 60 से अधिक विद्यार्थियों को 1 शिक्षक पढ़ा रहा है तो वहीं कई विद्यालय ऐसे हैं जहाँ दो या तीन कक्षा के विद्यार्थी एक साथ शिक्षा ले रहें हैं (गोस्वामी और सिंह, 2016)। यह समस्या केवल भारत की ही नहीं है, अपितु अन्य विकासशील देशों में उच्च विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात एक चुनौती है। यह न केवल विद्यार्थियों के ज्ञान को कम करता है, बल्कि उनको व्यक्तिगत तौर

पर कौशलहीन बनाता है (सुरेश और कुमारावेलु, 2017)। इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज में उच्च विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को कम करने के संदर्भ में अपनी संस्तुतियों में कहा है कि विद्यालयों में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 30:1 हो तथा सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित बालकों की अधिकता वाले क्षेत्रों के विद्यालयों में यह अनुपात 25:1 हो (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. 12)। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि अधिक विद्यार्थियों की तुलना में कम संख्या वाली कक्षा (अधिकतम 20) के विद्यार्थियों की कक्षागत उपलब्धि अधिक होती है, विशेषतः वंचित और अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए (मेहरा, 2018)। इस तथ्य के आलोक में देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपने दस्तावेज में उच्च विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को कम करने तथा हाशिए के समुदाय वाले क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों में अन्य जगहों की तुलना में विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात को कम रखने की संस्तुति दी हैं, ताकि विद्यार्थियों का अधिगम सहज, सरल व प्रभावशाली हो सके।

प्रशिक्षित शिक्षक

जिस तरह एक चिकित्सक के लिए, रोगों के लिए नुस्खा लिखना, रोगों की जाँच करना व उसका निदान करना एक आवश्यक कौशल है, ठीक उसी तरह एक शिक्षक के लिए शिक्षण कौशलों के समुच्चय की आवश्यकता होती है (मैथ्यू और गोयल, 2018)। अतः यह जरूरी है कि शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि एक प्रशिक्षित शिक्षक ही शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने अपने दस्तावेज में न केवल उच्च शिक्षा के संदर्भ में अपितु पूर्व-बाल्यावस्था एवं शिक्षा (ई.सी.सी.ई.) स्तर तक के शिक्षकों/आँगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण के विषय में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है। इसके अंतर्गत ई.सी.सी.ई. स्तर के शिक्षकों/आँगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को रा.शै.अ.प्र.प. के द्वारा विकसित पाठ्यक्रम/शिक्षणशास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार व्यवस्थित रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. 10)। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षक शिक्षा पर बल देते हुए 4 वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रम के माध्यम से उन लोगों के लिए संभावनाओं के द्वार खोले हैं जो केवल प्राथमिक व्यवसाय के रूप में शिक्षण पेशे को चुनना चाहते हैं। इसके अलावा विद्यालय परिसर में अल्प-अवधि के लिए स्थानीय शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजूकेशन (बी.आई.ई.टी.) व जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) उपलब्ध होंगे (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. सं. 36–37)। इस नीति के माध्यम से वर्ष 2021 तक राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) व रा.शै.अ.प्र.प. के परामर्श से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों के आधार पर एक नवीन व व्यापक अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रुपरेखा (एन.सी.एफ.टी.ई. 2021) तैयार करने का प्रस्ताव है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. 37)। इसके अलावा उच्च शिक्षा के स्तर पर कॉलेज और विश्वविद्यालय में ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा विभाग स्थापित करने की पहल की गई है जो बी.एड., एम.एड. और पी.एच.डी. की उपाधि दें (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. 36)। इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति

ने विभिन्न स्तरों पर शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, ताकि शिक्षक प्रशिक्षण के द्वारा उन सभी कौशलों को प्राप्त कर सकें जिससे वे विद्यार्थियों के लिए अधिगम प्रक्रिया व पाठ्यचर्या को रुचिकर बना सके।

शिक्षा हेतु समावेशी वातावरण

दुनिया के अधिकांश देश विशेष आवश्यकता वाले व दिव्यांग बच्चों के प्रभावी समावेशन की समस्या से जूझ रहें हैं। इनसे संबंधित नीतियों और उसके क्रियान्वयन में काफी अंतर पाया जाता है (यूनिसेफ, 2000)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने दस्तावेज में दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षण प्रक्रियाओं में संमिलित होने के लिए सक्षम बनाए जाने की बात करती है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. 41)। ऐसे बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए आवश्यक सुविधाओं के लिए वित्तीय मदद का प्रावधान; दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति; गंभीर अथवा अधिकाधिक जरूरत मंद बालकों के लिए गाँव/ब्लॉक स्तर पर आवश्यकतानुसार एक संसाधन केंद्र स्थापित करना तथा आवश्यकतानुसार आवश्यक भौतिक सामग्री (बड़े प्रिंट व ब्रेल प्रारूपों की सुलभ पाठ्यपुस्तकें) उपलब्ध कराने की बात इस शिक्षा नीति में की गई है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. सं. 41–42)। इस तरह से देखा जाए तो रा.शि.नी. ने विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों में एक ऐसा समावेशी वातावरण देने की सिफारिश की हैं, जिसमें वे सहज रूप से आसानी से सीख सकें।

पाठ्यचर्या

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्यचर्या के महत्व का अंदाजा इस कथन से लगाया जा सकता है कि 'पाठ्यचर्या एक कलाकार (शिक्षक) के हाथ में वह साधन हैं, जिससे वह अपने पदार्थ (शिक्षार्थी) को अपने आदर्शों व उद्देश्यों के अनुसार अपने स्टूडियो (विद्यालय) में ढालता है' (दुबे, 2014)। अर्थात पाठ्यचर्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त अवसर हों, ताकि वे अपने अध्ययन में सफलता पा सके और अपनी संपूर्ण संभावनाओं का पूर्ण विकास कर सकें (एन.सी.एफ. 2005, पृ. 19)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह मानना है कि रोजगार व वैश्विक परिस्थितियों में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में विद्यार्थियों के सामने नित नई-नई समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं जिसका समाधान अतिआवश्यक है। अतः पाठ्यचर्या ऐसी हो जो विद्यार्थियों की समस्या का समाधान करे, तार्किक व रचनात्मक रूप से सोचने व विविध विषयों के बीच अंतरसंबंधों को देखने वाली तथा नई जानकारियों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपने उपयोग में ला सकने वाली हो (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. सं. 3–4)। इसके अतिरिक्त पाठ्यचर्या में गणित, विज्ञान, बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और स्वास्थ्य, भाषा, साहित्य, संस्कृति व मूल्यों का समावेशन किया जाए (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. 4)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने पाठ्यचर्या के द्वारा विद्यार्थियों में चरित्र निर्माण के साथ-साथ, नैतिकता, तार्किकता, करुणा व संवेदनशीलता विकसित करने के साथ-साथ रोजगार के लिए सक्षम बनाने वाली

पाठ्यचर्या के निर्माण पर बल दिया है (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. 4)। इससे यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसे पाठ्यक्रम के निर्माण पर बल देती है जो बालकों के अंदर तार्किक, वैज्ञानिक गुणों के विकास के साथ-साथ नैतिक मूल्यों का भी विकास करे।

विद्यालय प्रबंधन

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु विद्यालय का कुशल प्रबंधन अति आवश्यक होता है। विद्यालय प्रबंधन हेतु एक विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, जो प्रधानाचार्य के नेतृत्व में कार्य करती। विद्यालय प्रबंधन समिति शिक्षा में गुणात्मक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के संबंध में ऐसी समितियों के महत्व को स्वीकार करते हुए दिल्ली के शिक्षामंत्री श्री मनीष सिसोदिया ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्रबंधन समिति में जहाँ शिक्षकों और प्रधानाचार्यों ने मिलकर पढ़ाई का माहौल बनाया तो वहीं अन्य सदस्यों (अभिभावकों) ने विद्यालयी वातावरण को बेहतर बनाने में सहयोग किया है (सिसौदिया, 2019)। इससे हम शिक्षा में ऐसी समितियों की भूमिका को समझ सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दस्तावेज में भी ऐसी समितियों को क्रियान्वित करने पर बल दिया गया है जिसमें अभिभावकों व अन्य स्थानीय हित-धारकों के साथ शिक्षक भी विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य रूप में शामिल होंगे (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पृ. 33)। इस तरह से हम देखते है कि रा.शि.नी. का दस्तावेज विद्यालय तंत्र व सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से विद्यालय में उत्तम अधिगम वातावरण के निर्माण पर बल देती है।

निष्कर्ष

उक्त तथ्यों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मानकों के अनुरूप शिक्षा देने की बात करती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वह है जो समाज के सभी वर्गों को समान रूप से दी जाए, जिसका स्पष्ट उल्लेख राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस दस्तावेज में देखने को मिलता है। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए विद्यालय में आवश्यक भौतिक संसाधनों की उपलब्धता के साथ-साथ स्वस्थ अधिगम वातावरण उपलब्ध कराना; दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए समावेशी वातावरण; विद्यालयों में विद्यार्थी-शिक्षक के उच्च अनुपात को कम करना; शिक्षा में हितधारकों की सहभागिता; शिक्षकों के शिक्षण कौशल के विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार व अध्यापक शिक्षा के लिए एक नई पाठ्यचर्या की रूपरेखा बनाने की बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति की संस्तुतियों में शामिल है।

अतः यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनी संस्तुतियों के द्वारा बालकों को उचित व न्यायसंगत शिक्षा के द्वारा सक्षम, तार्किक, नवाचारी व जीवन कौशलों से पूर्ण संवेदनशील मानव बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मानदंडों के अनुरूप है। अतः इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के आयामों के अनुरूप बनाई गई है, किंतु यह नीति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मानकों के अनुरूप कितनी खरी उतरती है यह तभी स्पष्ट होगा जब एक निर्धारित समयावधि के पश्चात इस नीति की उपलब्धियों का मूल्यांकन होगा।

संदर्भ

कॉमनवेल्थ सचिवालय. 2017. *यूनिवर्सल स्टैंडर्स फॉर क्वालिटी इन एजुकेशन*. मलेशिया. https://www.thecommonwealtheducationhub.net/wpcontent/uploads/05/2016/Quality_Standards_Education_07_2017.pdf

गोस्वामी, नेहा और आरती सिंह. 2016. प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में बाधाएँ : अध्ययन एवं सुझाव. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट*. 3(2), पृ.सं. 108–115. http://www.allsubjectjournal.com/archives/2016/vol3/issue2

जॉर्ज, बोसियन क्लाउडियू, पोपेस्कु डेनियल विक्टोरिया और मोनिका लोगोफतु. 2018. क्वालिटी इन एजुकेशन—अप्रोचेस एंड फेमवर्क. *इकोनामिक्स साइंस सिरीज*. 18(2), पृ.सं. 199–204. ओविडियस यूनिवर्सिटी एनलस. https://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/wp-content/uploads/2-2/02/2019.pdf

दुबे, सत्यनारायन. 2014. *पाठ्यक्रम का विकास*. शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद.

धनकर, रोहित. 2010. शिक्षा में गुणवत्ता का विचार. (कुशवाहा, सुरेंद्र, अनु.). *शिक्षा-विमर्श*. पृ.सं. 5–17. https://azimpremjiuniversity.edu.in/SitePages/pdf/12-2010_shiksha-me-gunavatta.pdf

मुखोपाध्याय, मार्मर. 2020. *टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन एजुकेशन*. सेज, नई दिल्ली.

मेहरा, संजय. 2018. क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी स्कूल एजुकेशन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांसड रिसर्च एंड डेवलपमेंट*. 3(2), पृ.सं. 665–668. http://www.advancedjournal.com/archives/2018/vol3/issue2

मैथ्यू, जॉन और निधि गोयल. 2018. ए स्टडी ऑन क्वालिटी एडुकेशन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांसड रिसर्च एंड डेवलपमेंट*. 3(2), पृ.सं. 332–334.

यूनिसेफ. 2000. *डिफाइनिंग क्वालिटी इन एजुकेशन*. इटली. https://www.right-to-education.org/resource/defining-quality-education

रा.शै.अ.प्र.प. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005*. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली.

शिक्षा मंत्रालय. 2020. *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020*. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली. NEP_final_HINDI_0.pdf (education.gov.in)

सिसोदिया, मनीष. 2019. *शिक्षा दिल्ली के स्कूलों में मेरे कुछ अभिनव प्रयोग*. पेंगुइन बुक्स.

सुरेश, ई.एस.एम. और अरुल कुमारावेलु. 2017. द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इट्स चलेंजेस इन डेवलपिंग कंट्रीज. *अमेरिकन सोसाइटी फॉर इंजीनियरिंग एजुकेशन*. https://www.researchgate.net/publication/335972264_The_Quality_of_Education_and_its_Challenges_in_Developing_Countries